

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052021-227219 CG-DL-E-28052021-227219

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1924] No. 1924] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/JYAISHTHA 7, 1943

गृह मंत्रालय

(विदेशी प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

का.आ. 2069(अ).—केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति अर्थात हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई (जिसे इसमें इसके पश्चात "आवेदक" कहा गया है) जो नीचे खंड (क) में उल्लिखित जिलों और खंड (ख) में उल्लिखित राज्यों में रह रहे हैं, को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने अथवा धारा 6 के अधीन उसे देशीयकरण संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोग किया जाएगा-

- (क) निम्नलिखित जिलों के संबंध में कलेक्टर, जिसकी अधिकारिता में आवेदक साधारणतया निवासी है -
 - (i) गुजरात राज्य में मोरबी, राजकोट, पाटन एवं बड़ौदरा;
 - (ii) छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग तथा बलौदाबाज़ार;
 - (iii) राजस्थान राज्य में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर तथा सिरोही:
 - (iv) हरियाणा राज्य में फरीदाबाद; तथा
 - (v) पंजाब राज्य में जालंधर।

- (ख) हरियाणा के फरीदाबाद जिले तथा पंजाब के जालंधर जिले के सिवाय हरियाणा एवं पंजाब राज्यों के गृह विभाग के सचिव, जिनकी अधिकारिता में आवेदक साधारणतया निवासी है, नागरिकता नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रयोग किया जायेगा, अर्थात :-
 - (अ) उक्त नियमों के अधीन आवेदक द्वारा भारत के नागरिक के रूप में रिजस्ट्रीकरण या भारत के नागरिक के रूप में देशीयकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आवेदन आनलाइन किया जाएगा;
 - (आ) आवेदक का सत्यापन यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर साथ-साथ किया जाएगा तथा आवेदन एवं उससे संबंधित रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को एक साथ आनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी;
 - (इ) आवेदक की उपयुक्तता को अभिनिश्चित करने के लिए, यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव, जैसा आवश्यक समझे वैसी जांच कराएगा तथा उस प्रयोजन के लिए उस आवेदन को आनलाइन ऐसे अभिकरणों को सत्यापन और टिप्पणियों के लिए भेजेगा जो ऐसी जांच पूर्ण करने के लिए अपेक्षित हो और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र और जिला द्वारा कठोर अनुपालन किया जाएगा;
 - (ई) खंड (इ) में निर्दिष्ट अभिकरणों की टिप्पणियों को ऐसी अभिकरणों द्वारा आनलाइन अपलोड किया जाना है तथा इन्हें,यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव और केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराया जाना है;
 - (उ) यथास्थिति, कलक्टर अथवा सचिव, आवेदक/आवेदिका की उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर आवेदक/आवेदिका को रजिस्ट्रीकरण अथवा देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा और उक्त नियमों में यथा विहित प्रारूप में आनलाइन पोर्टल से सम्यक् रूप से मुद्रित तथा यथास्थिति, कलक्टर या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा:
 - (ऊ) उक्त नियमों के अनुसार कलक्टर और सचिव द्वारा एक आनलाइन के साथ-साथ भौतिक रजिस्टर भी रखा जाएगा जिसमें भारत के नागरिक के रूप में इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत अथवा देशीयकृत व्यक्तियों का ब्यौरा होगा तथा उस रजिस्टर की एक प्रति ऐसे रजिस्ट्रीकरण अथवा देशीयकरण के सात दिन की अविध के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।
- 2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और आगामी आदेशों तक विधिमान्य होगा।

[फा.सं. 26030/266/2014-आईसी-॥(खंड-॥)(पार्ट.)]

सुमंत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Foreigners Division)

ORDER

New Delhi; the 28th May, 2021

S.O. 2069(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby directs that powers exercisable by it, for registration as a citizen of India under section 5, or for grant of certificate of naturalisation under section 6, of the Citizenship Act, 1955, in respect of any person belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan,

namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians(hereinafter referred to as "the applicant"), residing in the districts mentioned in clause (a) below and the States mentioned in clause (b) below, shall also be exercisable by —

- (a) the Collector, within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident, in relation to the districts of -
 - (i) Morbi, Rajkot, Patan and Vadodara in the State of Gujarat;
 - (ii) Durg and Balodabazar in the State of Chhattisgarh;
 - (iii) Jalore, Udaipur, Pali, Barmer and Sirohi in the State of Rajasthan;
 - (iv) Faridabad in the State of Haryana; and
 - (v) Jalandhar in the State of Punjab;
 - (b) the Secretary of the Department of Home of the States of Haryana and Punjab within whose jurisdiction the applicant is ordinarily resident, except the district of Faridabad in Haryana and the district of Jalandhar in Punjab, in accordance with the provisions of the Citizenship Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), subject to following conditions, namely:-
 - (A) the application for registration as citizen of India or grant of certificate of naturalisation as citizen of India under the said rules shall be made by the applicant online;
 - (B) the verification of the application is done simultaneously by the Collector or the Secretary, as the case may be, at the district level and the State level and the application and the reports thereon shall be made accessible simultaneously to the Central Government on online portal;
 - (C) the Collector or the Secretary, as the case may be, makes such inquiry as he considers necessary for ascertaining the suitability of the applicant and for that purpose forwards the application online to such agencies for verification and comments as may be required for completing such an inquiry and the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard shall be strictly complied with by the State or Union territory and District concerned;
 - (D) the comments of the agencies referred to in clause (C) are uploaded online by such agencies and accessible to the Collector or the Secretary, as the case may be, and the Central Government;
 - (E) the Collector or the Secretary, as the case may be, on being satisfied with the suitability of the applicant, grants him the citizenship of India by registration or naturalisation and issues a certificate of registration or naturalisation, as the case may be, duly printed from online portal and signed by the Collector or the Secretary, as the case may be, in the Form as prescribed in the said rules; and
 - (F) the Collector and the Secretary shall maintain an online as well as physical register, in accordance with the said rules, containing the details of the person so registered or naturalised as a citizen of India and furnish a copy thereof to the Central Government within seven days of such registration or naturalisation.
- 2. This Order shall come into force on the date of its publication in the official Gazette and shall remain valid until further orders.

[F. No. 26030/266/2014-IC-II (Vol.II) (Pt.)] SUMANT SINGH, Jt. Secy.